न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—आव्हाद निवृति सामनाथ,आई.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—97/2022 प्रार्थना पत्र

1—श्रीमति टमू देवी पत्नि मागू कुमावत निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।

———प्रार्थीयॉ

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर भीलवाडा।

2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

3—रामचन्द्र पिता मोडा खाती निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा मृतक के बजाय—

3/1—शम्भुलाल पिता रामचन्द्र खाती निवासी कोचरियातहसील व जिला भीलवाडा।

3/2—घनश्याम पिता रामचन्द्र खाती निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।

3/3—मंजू देवी पुत्री रामचन्द्र खाती निवासी कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा।

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:: नि र्ण य ::

दिनांकः—13.05.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया के खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि ग्राम कोचरिया प0ह0 कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 101/2, 103, 104, 105 कुल किता 04 कुल रकबा1.7072 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीया के पूर्वजो के समय से ही उक्त आराजी में जाने के लिये मौके पर रास्ता आराजी नम्बर 99/1 एवं 106 मे से होकर जाता है तथा वर्षो से इसी रास्ते से आ जा रहे है तथा मौके पर रास्ता बना हुआ है।उक्त रास्ता विपक्षी संख्या 03 की आराजी के उत्तर—पश्चिम दिशा में बना हुआ है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी कृषि आराजियात में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 03 की आराजी संख्या 99/1, 106 के उत्तर—पश्चिम दिशा की तरफ होकर जाता है तथा मौके पर विपक्षी संख्या 03 की सम्पूर्ण आराजी मे से 15 फीट चौडा रास्ता जाता है मौके पर रास्ता विद्यामान है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 03 की खातेदारी आराजी संख्या 99/1 व 106 में उत्तर—पश्चिम दिशा की तरफ 15 फीट चौडा रास्ता जो कि मौके पर मौजूद है एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया है, भूमि प्रस्तावित करा बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज कराये जाने का आदेश फ़रमावें।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/3 का जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र कमांक एफ—1216/रीडर/2022/363 दिनांक 09.06.2022 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल फाईल है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थीया अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ऐ पर बहस सुनी गई। प्रार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थीया की आराजियात ग्राम कोचरिया प0ह0 कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 101/2, 103, 104, 105 कुल किता 04 कुल रकबा 1.7072 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की भूमि में काश्त करने हेतु आने जाने, बुआई हेतु ट्रेक्टर, संज बैल व पैदल आने जाने एवं फसल काश्त करने हेतु विपक्षी संख्या 03 की खातेदारी आराजी संख्या 99/1 व 106 में उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ 15 फीट चौडाई का रास्ता मौजूद है जिसे दर्ज कराया जाकर रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी दर से गणना करा मुआवजा का निर्धारण कर जमा कर विपक्षीगण के खाते में से रास्ते हेतु भूमि दर्ज कराई जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का भली भांति परीक्षण किया। प्रकरण में न्याय निर्णयन हेतु तहसीलदार भीलवाडा ने पत्र कमांक एफ–1216/रीडर/2022/363 दिनांक 09.06.2022 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है सबसे निकटतम रास्ता विपक्षी संख्या 03 की आराजी संख्या 106 में से 0.0126 हैक्टेयर व आराजी संख्या 99/1 में से 0.0504 हैक्टेयर किता 02 रकबा 0.0630 हैक्टेयर बनता है रास्ता मौके पर 15 फीट चौडा है। मौका पर्चा नजरी नक्शा ट्रेस संलग्न है।

अतः उपरोक्त विवेचन व बिन्दुवार निष्कर्ष के आधार पर प्रार्थीया अपनी भूमि मौजा कोचरिया प0ह0 कोचरिया तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 101/2, 103, 104, 105 कुल किता 04 कुल रकबा 1. 7072 हैक्टेयर भूमि पर आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 03 की आराजी संख्या 106, 99/1 में से रास्ता चाह रहा है। उक्त रास्ता प्रार्थीया उपयोग करते आ रहे है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीया के आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। तहसीलदार भीलवाडा से प्राप्त मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार उपरोक्त वर्णित आराजियात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता नही है। आराजी नं0 106, 99/1 विपक्षी संख्या 03 की खातेदारी कृषि भूमि है। अतः मौजा कोचरिया प0ह0 कोचरिया तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 101/2, 103, 104, 105 पर आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होने से खातेदार को आने जाने के लिए सशुल्क रास्ता उपलब्ध कराये जाना न्यायहित में आवश्यक है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क अन्य खातेदार की जोत मे से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विधमान मार्ग का विस्तार करना के बिन्दु 1–,ख कोई कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारी की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय होता है। तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि–

2. यह अत्यधिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है, और

II. अन्य खातेदार की जोत मे से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे, पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा, आवेदक, को अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फीट नीचे पाईप लाईप बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि मे से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नही किया जावे तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फीट से अधिक चौडा न हो, बनाने के लिए या विधमान मार्ग को तीस फीट से अनधिक तक विस्तारित या चौडा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौडा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहॉ उप–धारा(1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौडा करने को अधिकार मंजूर किया जाय वहॉ ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिघृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उप–धारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं मे से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नही करेंगे।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के तहत इस प्रकार डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि पर सशुल्क रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर निर्णय दिया जाता है कि मौजा कोचरिया प0ह0 कोचरिया भू.अ.नि. गुरलां तहसील व जिला भीलवाडा के हल्के बेरूनी स्थित है जिसके आराजी नं0 101/2, 103, 104, 105 में कृषि कार्य हेतु आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 03 की आराजी नम्बर 106 में से 0.0126 हैक्टेयर व आराजी संख्या 99/1 में से 0.0504 हैक्टेयर में से 15 फीट चौड़ाई में 0.0630 हैक्टेयर भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम गैरमुमकिन सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ते हेतु दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती हैं तहसीलदार भीलवाड़ा उक्त रास्ते की भूमि 0.0630 हैक्टेयर भूमि का मूल्यांकन वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार करे। प्रार्थीया द्वारा उपरोक्त 0.0630 हैक्टेयर भूमि की कीमत वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार कुल मूल्यांकन राशि के 2 गुणा राशि मृतक विपक्षी संख्या 03 के विधिक वारिसान (3/1 से लगायत 3/3) को नियमानुसार भुगतान करना होगा। प्रार्थीया द्वारा उक्त रास्ते की भूमि की कुलिया मूल्यांकन राशि की मृतक विपक्षी संख्या 03 के विधिक वारिसान संख्या (3/1 से लगायत 3/3) को अदा करने के पश्चात तहसीलदार भीलवाड़ा मृतक विपक्षी संख्या 03 के विधिक वारिसान (3/1 से लगायत 3/3) की आराजी नम्बर 106 व 99/1 कुल क्षेत्रफल 0.0630 हैक्टेयर भूमि में 15 फीट चौड़ाई में बिलानाम गैर मुमकिन सार्वजनिक रास्ता राजस्व अभिलेख व हॉल नक्शा ट्रेस में अमल दरामद करे। इस रास्ते पर प्रार्थीया का कोई खातेदारी अधिकार नही रहेगा केवल आने जाने हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(आल्हाद निवृति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
भीलवाडा